

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 538

दिनांक :- 31.7.2018

आदेश संख्या:- 168/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रुल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार/ सामान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि .	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	सबताराम राठौड	31/89	1872	15.02.1991	15.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
2.	सत्यनारायण दासग	64/89	5151	11.02.1991	11.02.2018	
3.	बनवारी लाल बैरवा	115/89	4450	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
4.	शम्भुदयाल गीणा	137/89	5169	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
5.	नन्दराम कैरवाल	177/89	3932	11.02.1991	11.02.2018	
6.	हरसीराम गीणा	232/89	2172	11.02.1991	11.02.2018	
7.	शिवराम जाटव	249/89	5210	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
8.	पृथ्वीसिंह बेसरवाडिया	259/89	4862	11.02.1991	11.02.2018	
9.	रामकिशोर बैरवा	275/89	1922	11.02.1991	11.02.2018	
10.	राजकुमार मोरोडिया	288/89	1931	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
11.	अर्जुन लाल बुनकर	298/89	4414	11.02.1991	11.02.2018	
12.	च्यवनसिंह जोरवाल	313/89	4557	11.02.1991	11.02.2018	
13.	प्रभुदयाल रैगर	362/89	4876	24.06.1991	24.06.2018	
14.	ओमप्रकाश नावरिया	370/89	4825	24.06.1991	24.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय

उपरोक्त क्रम संख्या 1,3,4,7,10 एवं 14 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

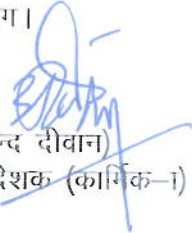

(गंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 538

दिनांक :- 31.7.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)